महत्वपूर्ण एवं खास

कार्य में लापरवाही, दो पंचायत सचिव निलंबित

रायगढ़। सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल ने ग्राम पंचायत सचिव बंशीधर भोय, एवं परखित भोय को अपने पदीय कार्य में लापरवाही बरतने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। दोनों पंचायत सचिव को निलंबन अवधि में कार्यालय जनपद पंचायत लैलूंगा में अटैच किया गया है। ज्ञात है कि जनपद पंचायत लैलूंगा ग्राम पंचायत तारागढ़ के पंचायत सचिव बंशीधर भोय के द्वारा ग्राम पंचायत खम्हार प्रभार सौंपने के बावजूद भी ग्राम पंचायत तारागढ़ का प्रभार नहीं लेना एवं उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतना पाया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत केशला अतिरिक्त प्रभार कुंजारा के पंचायत सचिव परखित भोय के द्वारा संतराम गुप्ता ग्राम पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत कुंजारा का प्रभार नहीं सौंपने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतना पाया गया।

10 वीं एवं 12 वीं की मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होगी आज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की मुख्य परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम 14 मई 2022 को दोपहर 12 बजे मंडल के सभागृह में मंत्री, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाईट https://www.cgbse.nic.in एवं https://results.cg.nic.in पर भी जारी किया जाएगा।

उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। विकासखण्ड पुसौर के ग्राम-कांदागढ़ एवं पचेड़ा में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक सहकारी सोसायटियां, महिला स्व-सहायता समूह, ग्राम पंचायत एवं अन्य उपभोक्ता सोसायटी सात दिवस तक कार्यालयीन समयावधि में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)रायगढ़ में आवेदन जमा कर सकते है। उचित मूल्य की दुकानों को दुकान-सह-गोदाम के रूप में पर्याप्त स्थान रखना होगा। जहां मासिक आबंटन हेतु आवश्यक वस्तुओं का अग्रिम भण्डारण किया जा सके। दुकान के सामने महिला एवं पुरूष खरीददारों की अलग-अलग कतार बनाने के लिए पर्याप्त जगह रखना होगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क कर सकते है।

17 मई से मेडिकल कालेज हॉस्पिटल में चलेगी महिला व शिशु रोग की ओपीडी

रायगढ़। स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध किरोड़ीमल शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ के अधीक्षक डॉ. मनोज मिंज ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 मई 2022 से प्रसुति एवं स्त्री रोग विभाग तथा बाल्य एवं शिशु रोग विभाग को 100 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु अस्पताल (एमसीएच)रायगढ़ में संचालित किया जाएगा। इसके पश्चात अगले कुछ दिनों में यहां पर इन विभागों के आंतरिक रोग विभाग (आईपीडी) का संचालन भी किया जाएगा।

डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर सारंगढ़ की महिला और उसके भतीजे से ठगी

- महिला की शिकायत पर थाना सारंगढ़ में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज
- आरोपी को सारंगढ़ पुलिस ने बसना से गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़। थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक विवेक पाटले के नेतृत्व में दिनांक 12.05.2022 को सारंगढ़ पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के पीड़ित की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर कल ही आरोपी गिरफ्तारी के लिये महासमुंद रवाना होकर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक ग्राम ग्वालिनडीह थाना सारंगढ की रहने वाली श्रीमति ममता रायकर पति विनोद रायकर (उम्र 31 वर्ष) दिनांक 12.05.2022 को थाना सारंगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करायी कि जनपद पंचायत सारंगढ में संविदा पर डाटा आपरेटर में नौकरी करती थी। वर्ष 2020 में लाकडाउन होने पर सेवा वृद्धि रूक गई थी। इसी दौरान वर्ष 2021 में रिस्तेदार के द्वारा तौसिफ ईमाम शेख से परिचय कराये थे फिर तौसिफ ईमाम शेख बसना महासमुंद के द्वारा फोन कर रायपुर बुलवाया। तब रायपुर गई तौसिफ राजनीतिक पकड़ के माध्यम से कई लोगों को नौकरी लगाना बताया और रायपुर मंत्रालय में डाटा आपरेटर में नौकरी लगा देने का आश्वासन दिया जिसके एवज में 1,70,000 रूपये पड़ेगा बताया। तब नौकरी के लालच में आकर उसके बातों में राजी हुई। तौसिफ ईमाम शेख दिनांक 05.04.2021 को घर ग्वालिनडीह आया तो उसे नगद 11000 रूपये दी, उस समय तौसिफ ईमाम कुछ कागजात में हस्ताक्षर कराया था फिर उसके मोबाइल नम्बर और खाता नम्बर पर फोन पे, गूगल पे, कियोस्क शाखा से व नगद कर कुल 157000 रूपये दी। इसी दौरान भतीजा अमर सिंह रात्रे भी अपने पत्नि और स्वयं के नौकरी के लिए तौसिफ ईमाम को फोन पे के माध्यम से कई बार में 1,70,000 रूपया दिया है। उसके बाद भी दोनों का कोई नौकरी नहीं लगाया, रूपयों को वापस मांगने पर ममता रायकर को 62,300 रूपये और उसके भतीजा अमर सिंह रात्रे को 70,000 रूपया वापस किया बाकी दोनों के 1,94,700 रूपये को वापस नहीं किया। पैसा वापस कर देगा सोचकर दोनों रिपोर्ट नहीं किये थे लेकिन आज तक हमारा 1,94,700 रूपये को वापस नहीं करने पर थाना सारंगढ में लिखित शिकायत किये। महिला के लिखित आवेदन पर आरोपी तौसिफ ईमाम शेख के विरूद्ध अप.क्र. 225/2022 धारा 420 IPC कायम कर पुलिस टीम आरोपी तौसीफ इमाम शेख पिता स्वर्गीय शेख इमाम उम्र 42 वर्ष पता एपीजे अब्दुल कलाम मोहल्ला बसना, थाना बसना, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ को बसना से हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर सारंगढ़ न्यायालय भेजा गया है। आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी में निरीक्षक विवेक पाटले, प्रधान आरक्षक टीकाराम खटकर, केशव प्रसाद देवता आरक्षक कन्हैया खुंटे, महिला आरक्षक संपत्ति भगत की अहम भूमिका रही है।

चोरी के टुल्लू पंप के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को बरमकेला पुलिस ने भेजा रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 13/05/2022 को थाना बरमकेला में ग्राम खोरीगांव निवासी कैलाश पटेल पिता हेमलाल पटेल उम्र 31 वर्ष द्वारा उसके घर के कोलाबाड़ी की ओर लगे हाफ एचपी के टुल्लु पंप को कोई अज्ञात चोर दिनांक 03.05.2022 की रात चोरी कर ले जाने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 202/2022 धारा 379 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर माल मुल्जिम की पतासाजी के लिए बरमकेला पुलिस खोरीगांव रवाना हुई। जहां रिपोर्टकर्ता से पूछताछ कर जांचकर्ता द्वारा मुखबिरों से जानकारी लिया गया। मुखबिर द्वारा गांव के किशन चौहान एवं ताराचंद यादव पर टुल्लु पंप चोरी का संदेह जताये जिस पर दोनों संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, दोनों मिलकर टुल्लू पंप को चोरी करना स्वीकार करते हुए टुल्लू पंप लाकर पेश किए जिसकी बरामदगी कर दोनों आरोपी किशन चौहान पिता कांता चौहान उम्र 21 वर्ष, ताराचंद यादव पिता जैगराम यादव उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी खोरीगांव थाना बरमकेला आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पान ठेला दुकान में महुआ शराब की बिक्री सूचना पर कोसीर पुलिस की रेड

- आरोपी के कब्जे से 23 लीटर महुआ शराब जब्त, आरोपी को भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 12.05.2022 को थाना प्रभारी कोसीर उप निरीक्षक जयमंगल पटेल को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम कपिस्दा में ईश्वर प्रसाद साहू अपने पान ठेला दुकान में महुआ शराब बिक्री के लिए रखा है। सूचना पर थाने से सहायक उप निरीक्षक अंजान सिंह कंवर के हमराह टीम पुलिस टीम कार्रवाई के लिये रवाना हुए। ग्राम कपिस्दा में ईश्वर प्रसाद के पान ठेला में जाकर गवाहों के समक्ष पुलिस तलाशी पंचनामा तैयार कर रेड किया गया। तलाशी पर तीन नग पांच लीटर क्षमता वाले पीले जरीकेन में 5-5 लीटर महुआ शराब और चार नग दो लीटर क्षमता वाले बाटल में 2-2 लीटर कुल 23 लीटर जुमला कीमती 2,300 रूपये का बरामद हुआ जिसकी विधिवत जप्ती कर आरोपी ईश्वर प्रसाद साहू पिता स्व. रामप्यारी साहू उम्र 44 वर्ष, साकिन कपिस्दा, थाना कोसीर, जिला रायगढ पर थाना कोसीर में धारा 34 (1)क, 34(2)59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी कोसीर के निर्देशन पर कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक अंजान सिंह कंवर, आरक्षक जीत राम लहरे, मुनीराम अनंत, धनंजय कुमार, अनिरूध बैरागी, महिला आरक्षक पुष्पा नारंग शामिल थे।

वर्चुअल डाक अदालत का आयोजन 19 को

रायगढ़। डाक विभाग को मिलने वाली शिकायतों का त्वरित निपटान के उद्देश्य भारतीय डाक विभाग के रायगढ़ संभाग द्वारा 19 मई 2022 को पूर्वान्ह 11 बजे से अधीक्षक डाकघर, पंजाब नेशनल बैंक के पास, अनाथालय रोड रायगढ़ में वर्चुअल डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं से काउंटर सेवा, बचत बैंक, मनी आर्डर, स्पीड पोस्ट, डाक जीवन बीमा इत्यादि में आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। इच्छुक उपभोक्ता डाक सेवा से संबंधित अपनी शिकायत पूर्ण विवरण जिसमें शिकायत कर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ अधीक्षक डाकघर, रायगढ़ संभाग, रायगढ़, अनाथालय रोड, रायगढ़ को 19 मई 2022 या उससे पहले भेजा सकते है।

तमनार के ग्राम कसडोल में सम्पत्ति विवाद में भतीजे ने बड़े पिता पर टांगी से किया वार

- आहत का के.जी.एच. में निधन, आरोपी को तमनार पुलिस लिया हिरासत में

रायगढ़। दिनांक 13/05/2022 के सुबह ग्राम कसडोल का कोटवार केशव साहू (उम्र 36 वर्ष) थाना तमनार आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके पड़ोस में गंगाराम साहू का मकान है। गंगाराम साहू तीन भाई हैं, सबसे बड़ा गंगा साहू है, उससे छोटा ठंडा राम जो फौत हो गया है और सबसे छोटा जगदीश साहू है जिसके दो लड़का और दो लड़की है। गंगाराम साहू का पत्नी, बच्चे नहीं है, इस कारण जगदीश का छोटा बेटा सुधेश्वर साहू उसका देखभाल करता है जिस पर गंगाराम साहू सुधेश्वर साहू के नाम अपनी सारी संपत्ति को सौंप दिया था। इसी रंजिश को लेकर जगदीश का बड़ा लड़का हितेश्वर साहू, गंगा राम साहू को हमेशा झगड़ा विवाद करता था। आज दिनांक 13/05/022 के सुबह पड़ोसी बताएं कि सुबह करीब 8:00 बजे गंगा राम साहू के आंगन में उसका बड़ा भतीजा हितेश्वर साहू गंगाराम को धारदार तकिया से दाहिने कनपटी के पास मारकर चोट पहुंचाया है। गंगाराम को काफी चोट है, काफी खून निकल रहा है। तब जाकर गंगाराम के घर पहुंच कर देखे, गंगा राम साहू सुधेश्वर साहू के नाम सारी संपत्ति को सौंप देने के रंजिश को लेकर हितेश्वर साहू गंगाराम को गाली गलौज कर हत्या करने के आशय से टंगिया से मारकर गंभीर चोट पहुंचाया है। आहत को डायल 112 वाहन द्वारा सीएचसी तमनार ले जाकर भर्ती कराया गया जहां से उसे केजीएच रायगढ़ रिफर किया गया। कोटवार केशव साहू के रिपोर्ट पर थाना तमनार में आरोपी हितेश्वर साहू के विरूद्ध अपराध क्रमांक 107/2022 धारा 294, 506, 307 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर थाना तमनार से पुलिस टीम आरोपी पतासाजी के लिये ग्राम कसडोल पहुंची, आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया है। आहत गंगा राम साहू के KGH में फौत होने की जानकारी प्राप्त हुई है। आरोपी को कल न्यायिक रिमांड पर भेजा जावेगा।

अवैध गांजा बिक्री करने मोटरसाइकिल पर घूम रहा युवक गिरफ्तार, 3 किलो गांजा व मोटरसाइकिल जब्त

- मुखबीर सूचना पर बरमकेला टी.आई. ने नाकेबंदी कर की कार्यवाही

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन तथा एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल द्वारा क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री पर कार्यवाही के लिए मुखबिर तैनात कर रखा गया है जिसके द्वारा आज दिनांक 13/05/2022 के सुबह सूचना दिया कि एक युवक लाल रंग के सोल्ड ग्लैमर मोटर सायकल पर पिट्ठू बैग में गांजा लेकर बरमकेला की ओर बिक्री के लिए निकला है। मुखबिर की सूचना पर गोपनीयता बरतते हुए थाना प्रभारी बरमकेला द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के लिए अविलंब सूचना देकर अपने स्टाफ आरक्षक प्रकाश गिरी गोस्वामी, तुलेश्वर प्रसाद साहू, विजय यादव के साथ ग्राम खोरीगांव रवाना हुए और खोरीगांव मेन रोड स्थित चौक पर नाकेबंदी किए कुछ ही देर बाद ग्राम कोतरा की ओर से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में पिट्ठू बैग लिए आता दिखा जिसके आरोपी का होने के संदेह पर रोका गया जो पुलिस की जांच देखकर घबराकर चौक गया, व्यक्ति से उसका नाम पता और पीछे पिट्ठू बैग में क्या रखे हो कहकर रखे हो पूछने पर अपना नाम सुरेंद्र साव पिता जगत राम साव उम्र 36 वर्ष निवासी कोतरा थाना सरिया का बताया और अपने पिट्ठू बैग में गांजा का होना बताया जिससे विधिवत तलाशी के संबंध में सहमति लेकर गवाहों के समक्ष उसके बैग की तलाशी लिया गया जिसमें गांजा मिला। आरोपी द्वारा उसे बरमकेला में बेचने के लिये ग्राहक की तलाश में आना बताया। आरोपी से जप्त 3 किलो गांजा कीमत ₹24,000 तथा परिवहन में प्रयुक्त सोल्ड हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल कीमत ₹90,000 का जप्त कर आरोपी को थाना लाया गया। आरोपी सुरेंद्र साव पर थाना बरमकेला में धारा 20(B) एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है।

हाईकोर्ट का फैसला: 2700 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटी

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा, सरगुजा, बस्तर में होने वाले 2700 सहायक शिक्षकों की भर्ती से रोक हटा दी है। मिली जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौरडिया की डिवीजन बेंच ने कहा है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल मूलभूत अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही डिवीजन बेंच ने स्थानीय को ही अवसर देने की अधिसूचना को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश भर के युवक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। दरअसल, शुशांत शेखर धराई और उमेश श्रीवास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया है कि संविधान की 5वी अनुसूची के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने 17 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी।

नाबालिग बालिका से छेड़खानी मामले में अपचारी बालक भेजा बाल संप्रेक्षण गृह

- संवेदनशील मामले में भूपदेवपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाई

रायगढ़। दिनांक 12.05.2022 के रात्रि थाना भूपदेवपुर में क्षेत्र में ईट बनाने का काम करने वाले कुछ लोग आकर उनके नाबालिग बालिका को ग्राम कांशीचुआ के एक लडके द्वारा बालिका को सुने निर्माणाधीन मकान में ले जाकर छेड़खानी करना बताये। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक अमित शुक्ला द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर अपने स्टाफ के साथ छेड़खानी के आरोपी की पतासाजी के लिए रवाना हुए जिनके द्वारा रातभर कई गांव में दबिश देकर आरोपी पतासाजी किया गया, सुबह भोर में आरोपी पकड़ा गया जो विधि के साथ संघर्षरत अपचारी बालक निकला।

घटना के संबंध में पीड़ित बालिका के परिजन बताये कि कल दिनांक 12.05.2022 के शाम बालिका अपने झोपड़ी से अपनी छोटी बहन के साथ बड़ी मां के घर पैदल जा रही थी। रास्ते में कांशीचुआ लड़का मिला जो कहां जा रही हो कहकर जबरजस्ती डरा धमकाकर गंदी नियत से पास के निर्माणाधीन मकान में ले गया हो हल्ला सुनकर जब मकान पहुंचे तो लड़का भाग गया, लड़की डरी हुई थी। आरोपित अपचारी बालक को अप.क्र. 67/2022 धारा 354,354(ख),506 IPC, 8 Pocso Act के अपराध में न्यायिक रिमांड पर किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार तीन लोगों को मारी जबरदस्त ठोकर, एक युवक की मौत, कटकर अलग हुआ हाथ

जांजगीर-चांपा (आरएनएस)। जिले में गुरुवार देर रात हुए सडक़ हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। जबकि उसके दो दोस्तों की हालत गंभीर हैं। हादसा तेज रफ्तार वाहन की टक्कर के चलते हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक का हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया। हादसे के बाद युवक सडक़ पर पड़ा एक घंटे तक तड़पता रहा और दम तोड़ दिया। मामला नैला चौकी क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, बलौदा क्षेत्र के बछौद निवासी रितेश कुमार मरावी (22), रितिक कुमार मरावी (23) और सतीश बरेट (24) तीनों धुमाल पार्टी में काम करते हैं। तीनों एक शादी समारोह में धुमाल बजाने के बाद गुरुवार देर रात करीब 11 बजे करमंदी गांव जा रहे थे। अभी वे मौहार गांव के पास पहुंचे थे कि एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और भाग निकला।

कटकर अलग हुआ हाथ- टक्कर लगते ही तीनों बाइक से उछल कर सडक़ पर जा गिरे। हादसे में सतीश बरेट का एक हाथ उसके शरीर से कटकर अलग हो गया। आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि जब तक डायल-112 की टीम पहुंची करीब एक घंटा बीत चुका था। तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने ज्यादा खून बह जाने के कारण सतीश को मृत घोषित कर दिया।

दो लोगों की हालत गंभीर- दूसरी ओर रितिक और रितेश की हालत गंभीर थी। उनका उपचार पहले जिला अस्पताल में ही चलता रहा, लेकिन सुबह दोनों की हालत ज्यादा बिगडऩे लगी तो डॉक्टरों ने उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया है। दोनों युवक हादसे को लेकर कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर उसका पता लगाया जा रहा है।

इसी सत्र से लैलूंगा और लुण्ड्रा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

- ड्रापआउट बच्चों के लिए सड्डू में बनेगा कोचिंग सेंटर
- कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आरक्षण नियम संशोधित
- आवासीय विद्यालयों में कृषि और वाणिज्यिक संकाय प्रारंभ करने का प्रस्ताव
- आवासीय एवं आश्रम संस्थान संचालक मंडल की बैठक

रायपुर (आरएनएस)। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आवासीय एवं आश्रम संस्थान संचालक मंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षण सत्र 2022-23 से रायगढ़ जिले के लैलूंगा और सरगुजा जिले के लुण्ड्रा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का प्रारंभ होंगे। दोनों विद्यालय में 60-60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। बैठक में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, आयुक्त शम्मी आबिदी सहित संचालक मंडल के सदस्य उपस्थित थे।

विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के ड्रापआउट बच्चों के लिए रायपुर के सड्डू में कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा। यहां भवन निर्माण के लिए 15 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस कोचिंग सेंटर में एकलव्य विद्यालयों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी। बैठक में शिक्षण सत्र 2021-22 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को जेईई और नीट परीक्षा की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि सभी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से स्क्रीनिंग टेस्ट कराकर 101 प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन किया गया। इसमें नीट के लिए 51 और जेईई के लिए 50 विद्यार्थी कोचिंग के लिए चयनित हुए है। मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि आगामी वर्ष से 200 विद्यार्थियों को कोचिंग देने का लक्ष्य रखे। इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग के साथ ही कृषि इंजीनियरिंग और न्यायिक प्रवेश परीक्षा (क्लेट) की भी कोचिंग दी जाए। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 73 विद्यार्थियों को आयुक्त कार्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विद्यालय परिसर में कोचिंग प्रदान की जा रही है।

प्रवेश आरक्षण नियम संशोधित

बैठक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए संशोधित आरक्षण नियम का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार अनुसूचित जनजाति के विशेष पिछड़ी जनजाति- कमार, अबूझमाडिय़ा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, पण्डो और भुंजिया के विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

घूमंतु एवं अनाथ बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता

एकलव्य विद्यालय में कार्यरत् अमले के कर्मचारियों के अधिकतम दो बच्चों को डे-स्कालर के रूप में विद्यालय में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो स्वीकृत सीट से अतिरिक्त होगी। कुल स्वीकृत सीट का 10 प्रतिशत आरक्षण घूमंतु समुदाय के बच्चे, ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता को वामपंथ उग्रवाद, विद्रोह, कोविड में खो चुके है, विधवा महिला के बच्चे, दिव्यांग माता-पिता के बच्चे और अन्य जैसे- भूमिदान करने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे को इन स्कूलों में दाखिला मिलेगा। यह बच्चे अनुसूचित जाति वर्ग के हो और प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हो। शेष सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों से भरी जाएगी। आरक्षित सीटों के लिए बच्चे न मिलने पर सीटों की पूर्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों से की जाएगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480